न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 168/2019 प्रार्थना पत्र

1. अजीम खां पिता बरकत खां मुसलमान, आयु 72 साल, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. रज्जाक खां पिता बरकत खां मुसलमान, आयु 66 साल, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थीया

//बनाम//

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री सआदत अली, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 26.02.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 175 की आराजी नं. 361, 367, 375, 878, 1029 कुल किता 5 कुल रकबा 5.0100 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होकर पुश्तैनी आराजीयात है और विरासत से प्रार्थीगण के नाम अंकित हुई है। प्रार्थीगण का वास्तविक नाम अजीम खां पिता बरकत खां व रज्जाक खां पिता बरकत खां है। सारे अन्य दस्तावेज भी इसी नाम से बने हुए हैं परन्तु राजस्व कार्मिकों ने सहवन से अजीम खां के बजाय अजीम अहमद तथा रज्जाक खां के बजाय अब्दुल रज्जाक अंकित कर दिया। इससे प्रार्थीगण को लोन लेने व अन्य राजकीय कार्यो में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए संशोधन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन का आदेश जारी करते हुए प्रार्थीगण का सही नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाने का कष्ट करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर नाम में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण ने पत्रावली के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 175 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र,

राशनकार्ड एवं विद्यालय अंक तालिकाओं की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः अजीम खान व रज्जाक खां अंकित है परन्तु राजस्व रेकार्ड में अजीम अहमद व अब्दुल रज्जाक पिता बरकत दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में त्रूटीपूर्ण होना प्रकट होता है। प्रार्थीगण ने इस आशय के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं जिसमें अपना सही नाम अजीम खां व रज्जाक खां होना सशपथ अंकित किया है। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भी प्रार्थीगण के नाम संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 175 की आराजी नं. 361, 367, 375, 878, 1029 कुल किता 5 कुल रकबा 5.0100 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम अजीम अहमद व अब्दुल रज्जाक पिता बरकत के बजाय अजीम खां, रज्जाक खां पिता बरकत खां दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 26.02.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 21:36:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: